उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 97/2017/775/92-2-2017-88जॉच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 20 जून, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

केरल राज्य में मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल पेरीपल्ली, कोल्लम, केरल के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता के संबंध में केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सी0वी0सी0) की जॉच आख्या में अन्य अधिकारियों के साथ श्री पी0आर0 राय, तत्कालीन मुख्य अभियंता, ई0एस0 आई0सी0, नई दिल्ली (प्रतिनियुक्ति पर) वर्तमान में सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को धनराशि रू0 16,47,52,780.00 की क्षति के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-35/2016/07मु0स0/92-2-16-88जांच/2016 दिनांक 26-07-2016 द्वारा सिविल सर्विस रेगुलेशन(सी0एस0आर0) के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण में जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। प्रश्नगत अनुशासनिक जॉच में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-60/2017/705/92-2-17-88जांच/ 2016 दिनांक 09-05-2017 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जॉच हेतु प्रमुख अभियंता,(नियोजन) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ के को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/प्रमुख अभियंता,(परि0/नि0) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-151/कैम्प/प्र0अभि0(पिर0/नि0)/17-जांच/राय दिनांक 18.05.2017 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये प्रमुख अभियंता,(परि0/नि0) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,शासन को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

[redacted]

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 97/2017/775/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को पूर्व जांच अधिकारी/ प्रमुख अभियंता,(परि0/नि0) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से प्राप्त समस्त अभिलेख मूलरूप में इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जांच आख्या शासन को एक माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- प्रमुख अभियंता,(परि0/नि0) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-151/ कैम्प/प्र0अभि0(पिर0/नि0)/17-जांच/राय दिनांक 18.05.2017 के क्रम संदर्भ मे।

4- श्री पी0आर0 राय, तत्कालीन अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।